न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 244/2013 **दायरा दिनांक : 11.12.2013**

उनवान

1— मुकेश कुमार पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा, निवासीगण सुन्दलक, तहसील बारां जिला बारां

2— कुलदीप पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा, निवासीगण सुन्दलक, तहसील बारां जिला बारां

3— कैलाशबाई पत्नी मोतीलाल, जाति मीणा, निवासीगण सुन्दलक, तहसील बारां जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासीगण सुन्दलक, तहसील बारां हाल निवासी छीतरलाल गोचर का मकान रेल्वे स्टेशन रोड़ अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— धन्ना लाल पुत्र राघाकिशन, जाति मीणा, निवासी काजीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 77/2007 निर्णय दिनांक 28.10.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सुन्दलक तहसील बारां में खाता संख्या 191 की खसरा नम्बर 467 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 875 रकबा 1.11 हेक्टर कुल 4 किता की 1.82 हेक्टर आराजी ग्राम बमूल्या, तहसील बारां में खाता संख्या 91 की खसरा नम्बर 65/611 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 79 रकबा 3.27 हेक्टर कुल 2 किता की 3.47 हेक्टर एवं ग्राम राजपुरा की खाता संख्या 135 में खसरा नम्बर 454 रकबा 4.66 हेक्टर भूमि प्रतिपक्षी नम्बर 1 के खाते में दर्ज है । यह आराजियात जगन्नाथ वल्द श्यामा के खाते में थी । जगन्नाथ प्रार्थीगण के दादा प्रतिपक्षी नम्बर 1 के पिता थे । जिनका स्वर्गवास हो चुका है । जगन्नाथ की मृत्यु के बाद समस्त आराजियात प्रतिपक्षी नम्बर 1 के खाते में दर्ज हो गयी है । आराजी प्रार्थीगण की पैतृक है और इस आराजी पर प्रार्थी काक जन्म से अधिकार है । प्रार्थीगण ने हक घोषणा का दावा पेश कर रखा है । अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी को आवश्यकतानुसार रहन बेचान कर दिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रतिपक्षी ने एक विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2007 को रजिस्ट्री करवा ली है जो नल एण्ड वोईड है । प्रतिपक्षी नम्बर 2 इस अवैध विक्रय के आधार पर खसरा नम्बर 875 की आराजी को अपने खाते

दर्ज कराने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान न करें और अवैध विक्रय के आधार पर प्रतिपक्षी क्रम 2 प्रार्थीगण को बेदखल न करें और इंतकाल अपने पक्ष में तस्दीक नहीं करवाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय से दिनांक 28.10.2013 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आराजी पैतृक है जिसमें अपीलांटगण का जन्म से अधिकार है । आराजी का पैतृक होना राजस्व रेकार्ड से सिद्ध कर दिया गया था । प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन आदि अपीलांटगण के पक्ष में था फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी पैतृक है । रेस्पोडेंट को अपने पिता से प्राप्त हुई है । अपीलांट इस आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांटगण के पक्ष में था फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है और खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 खाता संख्या 135 सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 454 की आराजी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2061–64 खाता संख्या 91 के अनुसार दो किता की 3.47 हेक्टर आराजी ग्राम बमूल्या की रेस्पोडेंट नम्बर 1 के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2060–63 के अनुसार नया खाता संख्या 191 की 4 किता की 1.82 हेक्टर आराजी ग्राम सुन्दलक रेस्पोडेंट नम्बर 1 के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबदी सम्वत 2029–32 के अनुसार जगन्नाथ के खाते में ग्राम बमूल्या की आराजी कुल 3 किता की 23 बीघा दर्ज है इसमें खसरा नम्बर 81 भी शामिल है । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 81 का हाल खसरा नम्बर 79 बना है । नकल जमाबंदी स्मवत 2026–29 के अनुसार जगन्नाथ के खाते में ग्राम राजपुरा की आराजी खसरा नम्बर 8/360 की 29 बीघा 2 बिस्वा आराजी दर्ज है और फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 360 की हाल खसरा नम्बर 454 कायम किये गये हैं ।नकल जमाबंदी सम्वत 2028–31 के अनुसार जगन्नाथ के खाते में ग्राम सुन्दलक की 20 किता की 127 बीघा 8 बिस्वा आराजी दर्ज है और नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 467 का साबिक खसरा नम्बर 382 हाल खसरा नम्बर 626 का साबिक खसरा नम्बर 467 हाल खसरा नम्बर 637 का साबिक खसरा नम्बर 532 हाल खसरा नम्बर 875 का साबिक खसरा नम्बर 807 है और नकल जमाबंदी सम्वत 2028–31 के

अनुसार साबिक खसरा नम्बर 382, 467, 532 और 807 जगन्नाथ के खाते में दर्ज है । इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात की फोटो प्रतियां पेश की गई है उनसे यह प्रमाणित होता हे कि वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ के खाते से रेस्पोडेंट के खाते में आयी है । अपीलांट नम्बर 1 और 2 रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पुत्र हैं यद्यपि अपीलांट नम्बर 3 को रेस्पोडेंट नम्बर 1 के जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है परन्तु पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनसे प्रथम दृष्टया आराजी पैतृक प्रतीत होती है और इस नाते अपीलांट नम्बर 1 और 2 का उसमें हित निहित है । इन तथ्यों के आधार पर हम रेस्पोडेंटगण को वादग्रस्त आराजी का रहन विक्रय न करने हेतु पाबन्द करना उचित समझते हैं और रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना भी उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर त्रुटि की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2013 अपास्त किया जाता है । रेस्पोडेंटगण को पाबन्द किया जाता है कि ता फैसला दावा वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान न करें और रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा